



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11042026-271737
CG-MH-E-11042026-271737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1777]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 9 अप्रैल, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 1846(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिला में "पाचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) यूटीपीएच जलगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 2 गाँव में विशेष रेल परियोजना "पाचोरा-जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गाव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक/ जमीनधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	जमीन प्रकार	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
1	07/26	कृष्णापुरी	पाचोरा	शब्बीरभाई युसुफअली	116/3/ड पै	1	2.43	0.21
2				कल्पनाबाई वामन पाटील, राजेंद्र वामन पाटील, शितल जगदीश पाटील, शोभाबाई रामचंद्र आखरे, सुनीता सुधाकर पाटील, सुनील चंद्रकांत पाटील, प्रमिलाबाई विजय पाटील, प्रभाकर वामन पाटील, मधुकर वामन पाटील	127/1/2/अ /2/ब/पै	1	2.02	0.08
3				आत्माराम हुला पाटील	127/1/2/अ/2/ ब/पै	1	2.01	0.09
4				भगवान चिंतामण पाटील	127/1/2/2/ब/2/पै	1	0.97	0.19
5				दुरिया भा. हुजेफा बोहरी	128/2 पै	1	1.21	0.10
6				हुजैफा शब्बीरभाई बोहरी	128/1/ पै	1	2.00	0.05
							कुल	
1	09/26	जलचक्रा खुर्द	बोदवड	अजीज जिलानी मुलतानी हबीबाबी जिलानी मुलतानी	28/2	1	1.04	0.22
2				विलास लक्ष्मण पाटील	32/2	1	1.51	0.02
3				बेबाबाई मांगो पाटील	58/3	1	1.18	0.0009 Ha./ 9.00 Sq.M.
				कुल			3.73 हे. आर.	0.2409 हे. आर.
				कुल योग			14.37 हे. आर.	0.9609 हे. आर.

[फा. सं. G197/PC-JMNR/Jalchakra- Krushnapuri Vlg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th April, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1846(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Pachora – Jamner with Extension upto Malkapur – Narrow Gauge to Broad Gauge** in the District of Jalgaon in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (1) UTPH Jalgaon, District Jalgaon** Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of **Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge** for 2 villages in the District **Jalgaon** in the State of Maharashtra.

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	Land Owners Name according to 7/12	Survey No./ Gutt No.	Land Holding Method	Area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquisition Area (H.R)
1	07/26	Krishnapuri	Pachora	Shabbir Bhai Yusuf Ali	116/3/ड पै	1	2.43	0.21
2				Kalpanabai Waman Patil, Rajendra Waman Patil, Shital Jagdish Patil, Shobhabai Ramchandra Aakhare,	127/1/2/अ /2/ब/पै	1	2.02	0.08

				Sunita Sudhakar Patil, Sunil Chandrakant Patil, Pramilabai Vijay Patil, Prabhakar Waman Patil, Madhukar Waman Patil				
3				Aatmaram Hula Patil	127/1/2/अ/2/ ब/ऐ	1	2.01	0.09
4				Bhagwan Chintaman Patil	127/1/2/2/ब/2/ऐ	1	0.97	0.19
5				Duriya Bha. Hujaiifa Bohari	128/2 ऐ	1	1.21	0.10
6				Hujaiifa Shabbirbhai Bohari	128/1/ ऐ	1	2.00	0.05
					Total		10.64	0.72
1	09/26	Jalchakra Khurd	Bodwad	Ajiz Jilani Multani Habibabi Jilani Multani	28/2	1	1.04	0.22
2				Vilas Laxman Patil	32/2	1	1.51	0.02
3				Bebabai Mango Patil	58/3	1	1.18	0.0009 Ha./ 9.00 Sq.M.
					Total		3.73 Ha	0.2409Ha
					Grand Total		14.37 Ha	0.9609 Ha

[F. No. G197/PC-JMNR/Jalchakra- Krushnapuri Vlg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA , Chief Administrative Officer (Construction)